Instances of over-invoicing by drug companies

2124. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of drug companies whose instances of over-invoicing have come to the notice of his Ministry during the last three years upto the 15th March, 1990; and

(b) what are the names of drugs and drug intermediates involved and what steps have been taken by his Ministry in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Names of the drug companies whose instances of over-invoicing have come to notice during the last three years upto 15-3-90:

(1) M|s. Syntho Rifa Pvt. Ltd., Bombay.

(2) M|s. Meher Pharma India Ltd., Bombay.

(3) M|s. Vitro Pharma India Ltd., Bombay.

(b) Names of the drugs and drug intermediates:

(1) 3 Formyl Rifampicin.

(2) Life Saving drugs.

Appropriate action has been initiated against the concerned parties, as warranted under the law.

Change in the policy relating to bulk drugs, drugs intermediates and finished medicines

2125. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what are the details of the requests received by his Ministry upto the 28th February, 1990 for the chanve in policy in respect of bulk drugs, drugs intermediates and finished medicines; and

(b) what are the details of action taken in each case?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) and (b) A number of representations|requests for change in Policy in respect of various bulk drugs, drugs intermediates and finished medicines were received and considered in connection with formulation of new Imports and Exports Policy. The forthcoming new Imports and Exports Policy, with be laid on the Table of the House on 30th March, 1990. It is, therefore, premature to disclose details about the policy regime for these items at this stage.

राजस्थान में छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सहायता

2126. **डा. अबरार अहमद खान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की भूमिगत जल का स्तर ऊंचा करने के लिए तथा वर्षा के जल को एकत्र करने की दृष्टि से राजस्थान में छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करने संबंधी कोई योजना है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ;

(ख) राजस्थान में इस समय औसत जल-स्तर कितना है ; और

(ग) राजस्थान के रेगिस्तान में खारे पानी को मीठा बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या-क्या योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुभाई कोटा छिपा) : (क) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत 100.40 लाख रुपये की कुल लागत से राजस्थान के चूरू, नागौर तथा बाड़मेर जिलों में मृदा संरक्षण स्कीमें छोटे ऐनीकटों का निर्माण तथा जल सुरक्षित रखने के लिए टैंकों को अनुमोदित किया गया है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा सूखाप्रवण

क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत एनीकटों के निर्माण के लिए वर्ष 1990-91 हेतु 56.15 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है ।

(ख) राजस्थान के विभिन्न जिलों में औसतन भूजल स्तर लगभग 5.5 मी. से लगभग 46.7 मी. तक भू-स्तर से नीचे रिकार्ड किया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत 71 विलवणीकरण संयंत्र लगाए जा रहे हैं ।

चुनाव याचिकाओं के लिए विशेष अदालतें

2127. डा. अबरार अहमद खान: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई ऐसी चुनाव याचिकाओं की संख्या कितनी है जो क्रमश: दिसम्बर, 1984 और फरवरी-मार्च, 1985 में हुए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के संबंध में दायर की गई हैं और इनमें से कितने मामलों में निर्णय ले लिया गया है और उक्त निर्णय लेने में कितना समय लगा तथा इन अदालतों में इस समय लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या सरकार चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों का गठन करने का विचार रखती है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जानकारी संलग्न विवरण 1 से 6 में अंतर्विष्ट है । [देखिये परिशिष्ट 153, अनुपत्र सं० 86]

(ख) निर्वाचन सुधारों के लिए व्यापक प्रस्तावों के भागरूप निर्वाचन अर्जियों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के बारे में कुछ उपाय सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन सुधार समिति के विचाराधीन हैं ।

Number of printed one rupee notes

2128. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the number of new one rupee notes printed and the amount incurred thereon in each of the last three years; and

(b) whether the Government have considered the desirability of discontinuing further printing of new currency notes of the denomination of one rupee and two rupees in view of the cost involved, their short life and to check premium thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) Total number of Re. 1/- notes printed and the expenditure incurred thereon during last three years are as under:-

Year	Number of pieces printed	Expenditure incurred
		Rs.
1986—87	98,78,70,000	7,55,72,055
1987—88	70,43,80,000	7,22,69,388
1988—89	39,61,00,000	4,27,78,800

(b) In view of short life of Re. 1/- and Rs. 2/- denomination notes *vis-a-vis* coins, Government have decided to gradually reduce printing of notes of these denominations and increase production of coins of these denominations.